हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक: 4853 /शैक्षिक/ए–2

दिनांक: 30.01.2023

परिपत्र

विषयः– माननीय न्यायालय SCPD Case No. CD-266/22 के आदेशानुसार सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा (शैक्षिक/मुक्त) में शामिल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु लेखकों का समूह बनाने बारे।

पत्र क्रमांक 736/शैक्षिक/ए–2 दिनांक 25.11.2022 की निरन्तरता में।

1. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर संबंधित विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/UDID कार्ड की जाँच करते हुए संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर किसी भी विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/UDID कार्ड की जाँच करते हुए अन्य विद्यालय में अध्ययनरत **नियमित परीक्षार्थी/स्वयंपाठी (Private)** दिव्यांग छात्र को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित/स्वयंपाठी (Private) दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/UDID कार्ड की जाँच करते हुए **नियमित/स्वयंपाठी (Private)** दिव्यांग छात्र को परीक्षा आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. परीक्षा समाप्ति के उपरांत मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर लेखक की सुविधा दी है, की प्रति ई.मेल./पंजीकृत डाक के माध्यम से बोर्ड कार्यालय की संबंधित शाखाओं को भेजी जानी है।

30/1/2023

सहायक निदेशक (शैक्षिक)

प्रतिः– सभी संबंधितों को।

प्रेषक

सचिव
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
भिवानी।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
हरियाणा राज्य के सभी राजकीय,
मान्यता प्राप्त उच्च, वरिष्ठ विद्यालय।

क्रमांक : 736 / शैक्षिक / ए–2 ई.मेल. दिनांक : 25.11.2022

विषयः– **SCPD Haryana, Social Justice and Empowerment Deptt. Case No. CD-266/22 के आदेशानुसार दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु जिला स्तर पर लेखकों का समुह (Pool) बनाने बारे।**

महोदय / महोदया,

आपके सूचनार्थ लिखा जाता है कि **IN THE COURT OF STATE COMMISSIONER FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES HARYANA, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT Case No. CD-266/22** में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में बोर्ड द्वारा सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक / मुक्त) परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु जिला स्तर पर लेखकों का समूह बनाकर लेखक की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्न प्रकार से प्रावधान किया गया हैः–

1. सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी कक्षा में अध्ययनरत ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो दिव्यांग है, उनके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या द्वारा अपने स्तर पर लेखकों का एक समूह (N.S.S. वाले छात्र / इच्छुक छात्र या अन्य कोई छात्र) बनाते हुए संबंधित को लेखक उपलब्ध करवाया करवाया जाना है। विद्यालय के मुखिया द्वारा लेखक उपलब्ध करवाने से पूर्व दिव्यांग परीक्षार्थी की पात्रता के संबंध में सभी दस्तावेज बोर्ड कार्यालय की संबंधित शाखाओं को भेजे जाने है व उस उपरांत संबंधित शाखा द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थी की पात्रता जांचते हुए विद्यालय को सूचित किया जाएगा।
2. सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे दिव्यांग स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी जो लेखक की सुविधा लेना चाहते है तो उस स्थिति में दिव्यांग स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु जो परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाता है, उस परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / मुख्य केन्द्र अधीक्षक द्वारा अपने स्तर पर बिन्दु संख्या–01 के दृष्टिगत जो लेखकों (N.S.S. वाले छात्र / इच्छुक छात्र या अन्य कोई छात्र) का समूह बनाया गया हैं, उस समूह में से स्वयंपाठी (Private) दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक उपलब्ध करवाया जाना है। विद्यालय के मुखिया द्वारा लेखक उपलब्ध करवाने से पूर्व दिव्यांग परीक्षार्थी की पात्रता के संबंध में सभी दस्तावेज बोर्ड कार्यालय की संबंधित शाखाओं को भेजे जाने है, व उस उपरांत संबंधित शाखा द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थी की पात्रता जांचते हुए विद्यालय को सूचित किया जाएगा।

P.T.O.

पूर्व पृष्ठ से लगातार:–

3. Special Schools में अध्ययनरत ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो सैकेण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा हेतु लेखक की सुविधा लेना चाहते है, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीन आने वाले किसी भी विद्यालय में से लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिस विद्यालय में से लेखक उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी जाती है, उस विद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षार्थी के दिव्यांगता की पात्रता की जांच हेतु सभी दस्तावेज बोर्ड कार्यालय की संबंधित शाखाओं को भेजे जाने हैं, व उस उपरांत संबंधित शाखा द्वारा दिव्यांग परीक्षार्थी की पात्रता जांचते हुए विद्यालय को सूचित किया जाएगा।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में लेखक उपलब्ध करवाने के संबंध में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय/प्रावधान अनुसार दिव्यांग परीक्षार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु उक्त अनुसार अपने स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,
25/11/2022
सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृतेः सचिव

पृष्ठांकन क्रमांकः सम 736/E.W

दिनांकः25.11.2022

पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
4. सभी जिला शिक्षा अधिकारी जहां विशेष विद्यालय स्थापित है, आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

भवदीय,
25/11/2022
सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृतेः सचिव